न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—42 / 20 (2020 / 00071) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—जगदीश आत्मज जमना गाडरी निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—गोमी पुत्री भैरा गाडरी निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—गोपी आत्मज खेमा गाडरी निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—रेवता आत्मज खेमा गाडरी निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—मांगु आत्मज चतरभुज गाडरी निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—नारायण आत्मज चतरभुज गाडरी निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—झमकु बेवा चतरभुज गाडरी निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. महेन्द्रसिंह — वादीगण अधिवक्ता
2. जाकिर हुसैन— प्रतिवादीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 17.09.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नान्दशा जागीर तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 859 रकबा 0.36 है0 अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 123 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी एवं नवीन नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित आराजी नम्बर का एकमात्र रास्ता सरकारी जमीन आराजी संख्या 852 रास्ते में से होकर आराजी संख्या 856 के उत्तरी और स्थित तालाब की नहर के पास से होकर आराजी सख्या 857 में प्रविष्ट होकर अपनी आराजी संख्या 859 में प्रविष्ट होते चले आ रहे है व काश्त लाभ प्राप्त करते है। उक्त रास्ते से प्रार्थीगण की संज, बैल, गाड़ी, पैदल, ट्रेक्टर सहित अपने पूर्वजो के समय से 12 फीट चौड़े रास्ते से शान्ति पूर्वक तरीके से आवागमन करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण को जलील व परेशान करने की नियत से व आराजियात ग्राम की आबादी के नजदीक होने से मुल्यावान होने से पत्थरो का कोट कर अस्थाई रूप से सरकारी नहर को भी अतिक्रमण बाड़ो में मिला दिया और प्रार्थीगण के आवागमन को बाधित कर दिया। इसके अलावा प्रार्थीगण की आवागमन करने का अन्य कोई रास्ता नही है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम नान्दशा जागीर के सरकारी रास्ते की आराजी संख्या 852 से विपक्षीगण की आराजी संख्या 856 के मुह से नहर के किनारे किनारे प्रविष्ट हो विपक्षीगण की आराजी संख्या 857 जिनमें अस्थाई रूप से रास्ते व नहर पर अमिक्रमण बाड़े विपक्षीगण ने बनाये उसे हटाये जाकर हमारी आराजी संख्या 859 में प्रविष्ट होने तक 12 फीट चौड़े रास्ते को राजस्व रेकार्ड व नक्शे में दर्ज कराये जाने का ओदश प्रदान कराया जावे व उक्त जमीन की डीएलसी की राशि विपक्षीगण को प्रदान करने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आध[illegible] 5.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को नोटिस जारी किये गये। [illegible] पालना में विपक्षी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 12:52:49 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 लगायत 2 बावजुद की ओर से जवाब पेश किया गया जो पत्रावली है। विपक्षी संख्या 3 फोत हो जाने से विधिक वारीस विपक्षी 1 व 2 होने से नाम हटाया गया। विपक्षी 1 व 2 ने अपने जवाब में अंकन किया कि विपक्षगण की आराजी 856, 857 में आवागमन नही होकर आबादी भूमि से लगता हुआ सरकारी रास्ता है। आराजी नम्बर 1860 प्रार्थीगण के भाईयो के नाम पर है उक्त आराजी व आराजी नम्बर 859 एक ही खाते में दर्ज होकर संयुक्त खातेदारी दर्ज भी परन्तु आपस में विभाजन होने से खाता अलग हुआ है। प्रार्थी सरकारी रास्ते से होकर आराजी संख्या 860 की उत्तरी पाली से होते हुए 859 में प्रवेश करते है। विपक्षी की आराजी संख्या 856 में कोई रास्ता और न रास्ते के कोई आलामात है मौके पर 6 फीट उचीं पत्थर थोहर की बाड़ होकर लकड़िया व रोड़ी पड़ी हुई है। प्रार्थीगण अपनी आराजी में आवागमन के लिए विद्यमान रास्ते को ही रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से आवागमन आराजी नम्बर 860 की उत्तरी पाली पर होकर अपनी खातेदारी में आवागमन करते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि ग्राम नान्दशा की सीमा में आराजी नम्बर 859 रकबा 0.36 है0 भूमि खातेदारी हक से दर्ज है। वर्तमान में उक्त आराजी के पूर्व दिशा में प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 856, 857 स्थित है जो बिलानाम रास्ता 856 के समीप स्थित है। मौके पर वादीगण के आराजी नम्बर 859 में आने जाने हेतु कोई रास्ता नही बना हुआ है। बिलानाम रास्ता आराजी नम्बर 852 से प्रतिवादीगण ने आराजी नम्बर 856 व 857 में थोर की बाड़ लगा कर बाड़ा बना रखा है जिसे आवागमन बन्द है। उक्त रास्ते के अलावा तालाब की पाल के पास बिलानाम आराजी नम्बर 853 मे से आराजी नम्बर 861 रास्ता मौजुद है। आराजी नम्बर 861 खातेदारी भूमि में स्थित है। आराजी नम्बर 861 व वादीगण की आराजी नम्बर 859 के मध्य भाग आराजी नम्बर 860 स्थित है जिसके थोर की बाड़ लगी हुई है वहां से वर्तमान में आवागमन नही हो रहा है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी नम्बर 859 में आवागमन हेतु उत्तर दिशा में आराजी नम्बर 855 में तालाब की नहर (खातेदारी में) स्थित है एवं बिलानाम आम रास्ता 852 व वैकल्पिक खातेदारी रास्ता 861 के मध्य खातेदारी भूमियां आने से वादीगण नही आ जा रहे है वादीगण ने बताया कि करीब 7–8 वर्षो से प्रतिवादीगण ने रास्ता बन्द किया है तब से हमारा खेत पड़ा हुआ है काश्त नही हो पर रही है। वादीगण ने बिलानाम आम रास्ता से आराजी नम्बर 856, 857 मे से 12 फीट रास्ता हेतु वाद दायर किया है जिसमें आराजी नम्बर 856 रकबा 0.01 है0 भूमि प्रस्तावित रास्ते की सीमा में आती है। ग्राम नान्दशा की डीएलसी दर 124470 रूपये प्रति बीघा अधिकतम है जिसके अनुसार 0.01 है0 भूमि की किमत 5760 रूपये की दुगुनी किमत 11520 रूपये बनती है। आबादी के नजदीक होने से अधिकतम डीएलसी दर लगाई गई है। वर्तमान रास्ते को नक्शा ट्रेस में नीली स्याही एवं प्रस्तावित रास्ते को बल्यू स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर वैकल्पिक रास्ता आराजी नम्बर 861 को बल्यू स्याही से दर्शाया गया है।

प्रकरण में प्रार्थी व विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्य कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार डीएलसी दर पर रास्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। तथा विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए आवेदन खारीज कराने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 12:52:49 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रार्थी एवं विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर मनन तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वो आराजी नम्बर 856 में चाहा गया है और विपक्षी द्वारा जो जवाब में आराजी नम्बर 853 एवं 861 व 860 की उत्तरी पाली पर रास्ता होना अकिंत किया जिसमें से आराजी नम्बर 856 में प्रस्तावित रास्ता से रकबा 0.01 है0 भूमि रास्ते के रूप में आती है। विपक्षी के द्वारा बताये रास्ते में आराजी नम्बर 860 मे से एवं आराजी नम्बर 861 एवं आराजी नम्बर 853 मे से रास्ता देने पर 600 वर्गमीटर भूमि बनती है जो अधिक है धारा 251 के अनुसार न्युनतम दुरी का रास्ता दिया जाने का प्रावधान है इस प्रकरण में प्रार्थना पत्र अनसुार एवं तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट अनुसार न्युनतम दुरी का रास्ता आराजी नम्बर 856 का ही बनता है ऐसी स्थिति में इस आराजी में से 0.01 है0 भूमि रास्ते हेतु दी जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नान्दशा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 1 व 2 की आराजी नम्बर 856 रकबा 0.01 है0 मे से सम्पूर्ण भूमि जिसकी डीएलसी दर रूपये 124470 रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रर्युक्त भूमि 0.01 है0 जिसकी डीएलसी दर अनुसार भूमि किमत 5760 रूपये बनती है जिसकी दुगुनी 11520 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को भूगतान करने पर या विपक्षीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते की अपनी भूमि के बदले मुआवजा राशि नही लेना चाहे तो इसके बदले रास्ते की भूमि के बदले प्रार्थीगण की आराजी संख्या 859 की पूर्वी मेड़ के सहारे का 0.01 है0 रकबा प्राप्त कर सकता है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की आराजी नम्बर 856 रकबा 0.01 है को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे एवं विपक्षीगण द्वारा अगर मुआवजा राशि के बदले आराजी नम्बर 859 मे विपक्षी की खातेदारी के सहारे 0.01 है0 भूमि लेने पर उक्त भूमि आराजी नम्बर 859 मे से 0.01 है0 विपक्षी कमांक 1 व 2 के नाम दर्ज की जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.09.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), रायपुर (भीलवाड़ा).

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 12:52:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—42/20 (2020/00071) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—जगदीश आत्मज जमना गाडरी निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—गोमी पुत्री भैरा गाडरी निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—गोपी आत्मज खेमा गाडरी निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—रेवता आत्मज खेमा गाडरी निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—मांगु आत्मज चतरभुज गाडरी निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—नारायण आत्मज चतरभुज गाडरी निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—झमकु बेवा चतरभुज गाडरी निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नान्दशा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 1 व 2 की आराजी नम्बर 856 रकबा 0.01 है0 मे से सम्पूर्ण भूमि जिसकी डीएलसी दर रूपये 124470 रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रर्युक्त भूमि 0.01 है0 जिसकी डीएलसी दर अनुसार भूमि किमत 5760 रूपये बनती है जिसकी दुगुनी 11520 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को भूगतान करने पर या विपक्षीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते की अपनी भूमि के बदले मुआवजा राशि नही लेना चाहे तो इसके बदले रास्ते की भूमि के बदले प्रार्थीगण की आराजी संख्या 859 की पूर्वी मेड़ के सहारे का 0.01 है0 रकबा प्राप्त कर सकता है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की आराजी नम्बर 856 रकबा 0.01 है को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे एवं विपक्षीगण द्वारा अगर मुआवजा राशि के बदले आराजी नम्बर 859 मे विपक्षी की खातेदारी के सहारे 0.01 है0 भूमि लेने पर उक्त भूमि आराजी नम्बर 859 मे से 0.01 है0 विपक्षी क्रमांक 1 व 2 के नाम दर्ज की जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 17.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

17.9.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 12:52:49 IST
Reason: SelfAttested